NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 5.7.2025
Page No. 6, Size:(8.70)cms X (14.25)cms.

NHRC notes atrocity on persons belonging to SC

NHRC, India, took suo moto cognisance of a media report revealing that two persons belonging to the Scheduled Caste were beaten up, forced to eat grass and drink drain water, on suspicion of illegally smuggling cattle by some people belonging to other community, in Ganjam district of Odisha, on June 26, 2025. Reportedly, their mobile phones were snatched and their heads were also forcibly tonsured. The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights.

मानवाधिकार आयोग ने लव जिहाद में फंसाकर दुष्कर्म जांच पर उठाये सवाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल

- आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र
- पढ़ाई छोड़ने वालीं तीन छात्राओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा, 25 तक तलब की रिपोर्ट
- पीड़ित छात्राओं को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा

भोपाल में मुस्लिम युवकों के संगठित गिरोह द्वारा हिंदू छात्राओं को लव जिहाद में फंसाकर दुष्कर्म करने और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस कार्रवाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि प्रकरण में पुलिस की जांच कमजोर और अधूरी है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि तीन पीड़ित छात्राओं ने डर के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाएं और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराएं। आयोग ने कहा है कि यह मामला बड़ा है। आरोपितों का नेटवर्क देशभर में फैला है, इसलिए जांचकर इसकी गहराई तक पहुंचें। पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 25 जुलाई तक आयोग ने तलब की है।

आयोग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा को पत्र लिखकर जांच में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि पीड़ित छात्राओं को पांच-पांच लाख रुपये सहायता राशि दी जाए। वहीं एक नाबालिग पीड़िता को छह लाख रुपये दिए जाएं। बता दें कि भोपाल में एक निजी कालेज में पढ़ने वाली छात्राओं को मुस्लिम युवकों द्वारा संगठित रूप से लवजिहाद में फंसाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और मतांतरण के लिए दबाव डालने का मामला गत अप्रैल में आया था। इसमें पांच पीड़िताओं ने अलग-अलग थानों में एफआइआर कराई थी। छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

TIMES OF INDIA, Kolkata, 5.7.2025
Page No. 6, Size:(12.13)cms X (13.23)cms.

Cooch Behar TMC neta shot at; BJP MLA's son, driver held

Pinak Priya Bhattacharya | TNN

Jalpaiguri: A BJP MLA's son and his driver were arrested on Friday following an attack on a Cooch Behar Trinamool neta.

Raju Dey, karmadhyaksha of Cooch Behar Block 2 Panchayat Samity, was going home on his bike when four persons shot at him near Jhinaidanga around 11pm on Thursday, police said. The bullet hit Dey on his right shoulder. He underwent a surgery early on Friday at a private nursing home. His condition is said to be stable.

Besides arresting Cooch Behar (Uttar) MLA Sukumar Roy's son Subhankar and his driver Uttam Gupta, cops have also impounded the black SUV used by the attackers. An FIR has been lodged against four people. "The vehicle belongs to MLA Roy. Witnesses saw his son in the car at the time of the incident," a police officer said.

In a video message, Dey said: "A couple of months back, locals in Chakchaka held protests against the MLA. The legislator was travelling in the same car back then. It was seen when I was attacked."

Cops had first arrested Roy's elder son. Later, however, they released him and arrested the younger son. "A hunt is on to get the other two involved in the attack," said SP Dyutiman Bhattacharya.

HUNT ON FOR 2

Following the attack, TMC posted on X: "The 2024 Lok Sabha results from Bengal made it clear that @BJP4India was rapidly losing ground in Cooch Behar. Now that the district has slipped from their iron-fisted grasp, they've returned to what they do best: unleashing BRUTE, MINDLESS VIOLENCE." TMC workers staged protests across the district, demanding punishment for culprits.

"This is an exceptional case where the son of a BJP MLA is trying to kill our man. We would expect the governor and the NHRC to visit Cooch Behar as they do every time BJP blames our party," said TMC district president Avijit Dey Bhowmik.

The MLA, however, said the arrest of his son and seizure of his car were parts of an effort to malign him. "With polls near, TMC netas have become desperate to gain ground in the district, especially in my constituency, as they know they will lose this time as well. They are using cops to do what they do best," Roy said, claiming Dey was shot in a factional fight.

(With inputs from PTI)

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PIONEER, Bhubaneswar, 5.7.2025
Page No. 3, Size:(24.90)cms X (12.69)cms.

Dalit torture in Ganjam: Arrests rise to 16

NHRC seeks report from State Govt

RAJEEV RATHAN ■ Bhubaneswar

A day after the National Human Rights Commission (NHRC) issued a notice to the Odisha Government over the horrifying caste-based violence in Dharakote block of Ganjam district, police intensified their probe and nabbed three more accused on Thursday evening, taking the total number of arrests to 16.

The fresh arrests include Sunil Swain (21) and Ashish Barala (19) from Bethuar and Santosh Kumar Polai (32) from Nabaratnapur. Police are continuing their manhunt for others involved in the brutal June 26 assault that has sparked State-wide condemnation.

As per an FIR, two Dalit men Bulu Nayak (52) and Babul Nayak (43) of Singipur were intercepted by a mob while transporting cattle, reportedly as part of a dowry arrangement. On suspicion of illegal cattle transport, they were subjected to abuse: robbed, thrashed, partially tonsured, paraded for nearly two kilometers crawling with grass in their mouths, and allegedly forced to drink sewage water. The mob also recorded the incident.

The prime accused Rajesh Samal (20) from Jahada is already in custody along with a juvenile previously detained.

The NHRC termed the incident a "gross violation of human rights" and directed the Chief Secretary and the DGP to submit a detailed report within two weeks.

Political parties including the BJD, the Congress and the Left have condemned the atrocity and demanded strictest action against the culprits. A Congress fact-finding team visited the victims in Singipur and pledged legal and medical support.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 5.7.2025
Page No. 20, Size:(7.06)cms X (7.79)cms.

'LOVE JIHAD' CASE

NHRC dissatisfied with Bhopal police probe, seeks new team

Directs Rs 5 lakh compensation to each victim, Rs 6 L to minor

Our Staff Reporter

BHOPAL

Expressing dissatisfaction with the Bhopal police investigation in the alleged 'Love Jihad' case, the National Human Rights Commission (NHRC) has asked the state government to form a new team and investigate the case all over again, said officials here on Friday. The commission has also asked the state government to provide Rs 5 lakh each to the victims of 'Love Jihad' case and Rs 6 lakh to the minor victim.

In April this year, the Ashoka Garden police had registered a case against five men accused of raping, blackmailing college girls and later forcing them for conversion and marriage.

> **The NHRC also pointed out that the Bhopal police have also failed to gauge the extent of the crime**

An NHRC bench headed by member Priyank Kanoongo took cognizance, and an investigation team was formed. Upon reviewing the report submitted by the investigating team, the NHRC has raised concerns about the thoroughness of the investigation.

Some more women allegedly approached the Commission and admitted they were exploited. It also came to the fore that three of the five victims even dropped out of college due to the harassment.

The NHRC also pointed out that the Bhopal police have also failed to gauge the extent of the crime, and that it spread over various states. The police also failed to find a connection between the accused Farhan and Shariq Machli.

Machli appears to be involved with the prime accused in the crime as he has a close connection with the college students and Club-90.

The Commission has asked the DGP to form a team headed by an officer not below the rank of SSP and to submit the report within four weeks.

It has also asked the Chief Secretary to ensure that students who dropped out for fear of extortion resume college. Additionally, it has directed that the victims be paid Rs 5 lakh each, while the minor girl gets Rs 6 lakh.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Bhopal, 5.7.2025
Page No. 4, Size:(16.40)cms X (14.00)cms.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पेश की अपनी रिपोर्ट

लव जिहादः पुलिस जांच कमजोर, अहम साक्ष्यों को नजरंदाज किया

क्लब 90 की फॉरेंसिक जांच कर 25 जुलाई तक भेजें रिपोर्ट

लीगल रिपोर्टर | भोपाल

निजी कॉलेज में छात्राओं से लव जिहाद, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने कहा कि पुलिस की जांच कमजोर रही। जांच में कई अहम साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया। इसलिए जिम्मेदारों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही, निष्पक्षता के लिए क्लब-90 की फॉरेंसिक जांच कराकर 25 जुलाई तक रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। जांच टीम ने 13 से 17 मई के बीच साक्ष्य जुटाए थे।

शिकायत अनसुनी रही : एक पीड़िता ने इंदौर में डायल-100 पर आरोपी फरहान द्वारा दुष्कर्म की शिकायत की थी, लेकिन कॉल रिसीव करने वाले अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही आयोग ने कहा कि पीड़िताओं को मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जा रही 50 हजार की सहायता नाकाफी है। हर पीड़िता को 5-5 लाख और एक नाबालिग पीड़िता को 6 लाख की अंतरिम राहत की सिफारिश की है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RAJASTHAN PATRIKA, Bhopal, 5.7.2025
Page No. 3, Size:(5.95)cms X (9.29)cms.

भोपाल : जांच के बाद एनएचआरसी ने दी रिपोर्ट

रेप पीड़िता छात्राओं ने छोड़ी पढ़ाई, जीवन नर्क...सरकार दे ₹5-5 लाख की सहायता

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. राजधानी के पिपलानी में निजी कॉलेज में छात्राओं को प्रेम जाल में फांसकर रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है, दरिंदगी की शिकार कई छात्राओं ने पढ़ाई छोड़ दी। उनकी जिंदगी नर्क बन गई। सही तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए सरकार पीड़िताओं की पढ़ाई पूरी कराए। स्कॉलरशिप और सुरक्षा दें। साथ ही सभी पीड़िताओं को 5-5 लाख और नाबालिग को 6 लाख रुपए की मदद दें। आयोग ने इस गंभीर मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरों और कर्मचारियों पर विभागीय और पूरे मामले की गहराई से जांच कराने की बात कही है। आयोग ने रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी है। सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट चार सप्ताह में और दो हफ्ते में अनुपालन की रिपोर्ट तलब की है।

रिपोर्ट में यह भी कहा

- आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में 13 से 17 मई तक टीम ने जांच की।
- युवतियों से देह व्यापार कराने का मामला लग रहा है। पुलिस ने आधा दर्जन युवकों गिरफ्तार किया, पर इसमें बड़े नेटवर्क होने की आशंका है।
- कॉलेज से कुछ दूरी पर क्लब-90 में आरोपी रणनीति बनाते थे। छात्राओं को बुलाकर दोस्ती करते थे।
- बिना पूरी जांच क्लब को तोड़ा, साक्ष्य छिपाने, आरोपी को बचाने की साजिश संभव है, सरकार जांच कराएं।

RAJASTHAN PATRIKA, Gwalior, 5.7.2025
Page No. 3, Size:(5.95)cms X (9.31)cms.

भोपाल : जांच के बाद एनएचआरसी ने दी रिपोर्ट

रेप पीड़िता छात्राओं ने छोड़ी पढ़ाई, जीवन नर्क...सरकार दे ₹5-5 लाख की सहायता

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. राजधानी के पिपलानी में निजी कॉलेज में छात्राओं को प्रेम जाल में फांसकर रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है, दरिंदगी की शिकार कई छात्राओं ने पढ़ाई छोड़ दी। उनकी जिंदगी नर्क बन गई। सही तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए सरकार पीड़िताओं की पढ़ाई पूरी कराए। स्कॉलरशिप और सुरक्षा दें। साथ ही सभी पीड़िताओं को 5-5 लाख और नाबालिग को 6 लाख रुपए की मदद दें। आयोग ने इस गंभीर मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस अफसरों और कर्मचारियों पर विभागीय और पूरे मामले की गहराई से जांच कराने की बात कही है। आयोग ने रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी है। सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट चार सप्ताह में और दो हफ्ते में अनुपालन की रिपोर्ट तलब की है।

रिपोर्ट में यह भी कहा

- आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में 13 से 17 मई तक टीम ने जांच की।
- युवतियों से देह व्यापार कराने का मामला लग रहा है। पुलिस ने आधा दर्जन युवकों गिरफ्तार किया, पर इसमें बड़े नेटवर्क होने की आशंका है।
- कॉलेज से कुछ दूरी पर क्लब-90 में आरोपी रणनीति बनाते थे। छात्राओं को बुलाकर दोस्ती करते थे।
- बिना पूरी जांच क्लब को तोड़ा, साक्ष्य छिपाने, आरोपी को बचाने की साजिश संभव है, सरकार जांच कराएं।

HARI BHOOMI, Jabalpur, 5.7.2025
Page No. 3, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

छात्राओं के साथ ड्रग्स, रेप और धर्मांतरण केस में एनएचआरसी ने राज्य सरकार को भेजी सख्त रिपोर्ट

हर पीड़िता को 5 लाख देने की सिफारिश लापरवाह अफसरों पर विभागीय कार्रवाई हो

आयोग ने पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा पढ़ाई और आर्थिक मदद के लिए कई निर्देश दिए

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश के एक निजी कॉलेज में छात्राओं को नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 13 से 17 मई के बीच जांच कर रिपोर्ट तैयार की और राज्य सरकार को सौंप दी है। आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अपराध यौन व्यापार की तरह प्रतीत होता है और इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। मुख्य आरोपी फरहान और मछली नाम की महिला की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। आयोग ने कहा है कि आरोपी का नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती, इसलिए विभागीय कार्रवाई की जाए। आयोग ने एसएसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी के नेतृत्व में नई जांच टीम बनाने की बात कही है। आयोग ने पीड़िताओं को दोबारा शिक्षा दिलवाने, छात्रवृत्ति देने और निरंतर सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं।

HARI BHOOMI, Bhopal, 5.7.2025
Page No. 3, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

छात्राओं के साथ ड्रग्स, रेप और धर्मांतरण केस में एनएचआरसी ने राज्य सरकार को भेजी सख्त रिपोर्ट

हर पीड़िता को 5 लाख देने की सिफारिश लापरवाह अफसरों पर विभागीय कार्रवाई हो

आयोग ने पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा पढ़ाई और आर्थिक मदद के लिए कई निर्देश दिए

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश के एक निजी कॉलेज में छात्राओं को नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 13 से 17 मई के बीच जांच कर रिपोर्ट तैयार की और राज्य सरकार को सौंप दी है। आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अपराध यौन व्यापार की तरह प्रतीत होता है और इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। मुख्य आरोपी फरहान और मछली नाम की महिला की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। आयोग ने कहा है कि आरोपी का नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती, इसलिए विभागीय कार्रवाई की जाए। आयोग ने एसएसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी के नेतृत्व में नई जांच टीम बनाने की बात कही है। आयोग ने पीड़िताओं को दोबारा शिक्षा ▶▶ शेष पेज 4 पर

हर पीड़िता को...

दिलवाने, छात्रवृत्ति देने और निरंतर सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से हर पीड़िता को 5 लाख और एक विशेष नाबालिग पीड़िता को 6 लाख रुपए राहत राशि देने की सिफारिश की गई है। एनएचआरसी ने कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल और यूजीसी के नियमों के सख्त पालन के भी निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट चार हफ्ते में और अनुपालन रिपोर्ट दो हफ्ते में भेजने को कहा गया है।

The New Indian Express

NHRC flags police lapses in Bhopal love trap, forced conversion racket; seeks action, deeper probe

The NHRC has recommended that the Madhya Pradesh DGP initiate departmental action against the police officer who failed to act seriously on the survivor's initial complaint.

https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Jul/04/nhrc-flags-police-lapses-in-bhopal-love-trap-forced-conversion-racket-seeks-action-deeper-probe

Express News Service | Updated on: 04 Jul 2025, 9:23 pm

3 min read

BHOPAL: Two months after a suspected love trap and forced conversion racket was busted in Bhopal, the National Human Rights Commission (NHRC) has flagged serious lapses in the police investigation.

The racket allegedly involved youths from one community befriending college girls from another, raping them, making obscene videos, and pressuring them for religious conversion and marriage.

In its four-page communication to the state's chief secretary and DGP earlier this week, the NHRC has mentioned, "Perusal of the facts of the case revealed that the main accused Farhan Khan was in touch with several persons in MP and outside. His criminal network connection with the crime in different states cannot be ruled out. However, the findings of the investigation remain silent on this aspect. Such a network of crime within the state as well as pan-India, if any, needs to be ascertained."

"There is a need for more rigorous investigation to find out the possible network of crime inside the state as well as pan-India to protect the children and teenage girls from sexual exploitation and the pattern of dominant gender crime of trafficking," the NHRC wrote in the communication.

The human rights body further highlighted there being no doubt regarding the relationship between the main accused, Farhan and one Shariq Machli, particularly as Machli appears to be involved with the prime accused in this entire case. Importantly, the man Sharif Machli, is a Bhopal-based businessman, who is believed to have powerful political links.

The NHRC has also recommended that the state's Director General of Police (DGP) initiate departmental action against the police officer who failed to take the matter seriously.

The lapse occurred when the first of the alleged rape survivors, a college student whose complaint led to the first of multiple cases in Bhopal, initially called the state police's emergency response service.

She had explicitly stated that she had been raped by Farhan Khan in Indore, but her complaint was not acted upon with due seriousness.

“The concerned official recorded the call in a manner suggesting that the victim had denied the occurrence of rape and advised her to visit the police station the following morning to file a complaint This response reflects gross negligence and a callous attitude on the part of the police personnel in handling a complaint regarding a heinous crime such as rape and liable to face departmental action.”

The NHRC also mentioned in the four-page communication about the Club-90 restaurant, which was located close to the college, where the female students studied, and also allegedly used in the crime. It was, however, demolished by authorities without prior information and collecting crucial evidence from there.

“Departmental action be taken against responsible police officers for this major lapse and forensic investigation of Club 90 is required for fair investigation of the case.”

Initial police investigation and an NHRC probe into the matter, the allegations of the complainant appear to be true. “It is a real and serious issue, involving deceitful romantic relationships and, thereafter, sexual exploitation and forced conversions of Hindu girls. Forcible, deceitful or dishonest religious conversion is unacceptable, it equals the Pattern of Dominant Gender Crime of Trafficking,” the NHRC maintained.

The Commission also criticised the silence of the concerned college’s anti-ragging cell, which is mandated to act under UGC guidelines.

Further, the Commission has asked the state’s chief secretary to ensure that the affected girls are admitted into new colleges without delay and that their education continues unhindered. It has also instructed the state to provide pending scholarships and to resume financial support for victims from SC, ST, and OBC backgrounds.

Noting that no compensation had yet been paid under the Victim Compensation Scheme, the NHRC called on the government to immediately release Rs 5 lakh per victim and Rs 6 lakh to the minor survivor under the POCSO Act.

The NHRC noted that considering the facts of the case and the serious nature of crime, there was a need for a more rigorous investigation to unearth the truth. The Commission sought a compliance report on it within two weeks.

Times of India

NHRC slams Madhya Pradesh over student abuse case, calls it organised crime

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/nhrc-slams-madhya-pradesh-over-student-abuse-case-calls-it-organised-crime/articleshow/122247976.cms

TNN | Jul 4, 2025, 03.50 PM IST

BHOPAL: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a stern advisory to the Chief Secretary and DGP of Madhya Pradesh, citing serious lapses in the investigation of alleged sexual exploitation and coercion of female students from a private college in Bhopal.

Calling it “an organised crime being committed against female students,” the NHRC said the accused “trapped them in a love trap, raped them and made obscene videos,” while also pressuring them for religious conversion and marriage.

Following a spot inquiry, the Commission found the investigation “incomplete and inconclusive,” adding that links between the accused and a wider criminal network “within the state as well as pan-India… need to be ascertained.” It also flagged a lack of action on enforcing anti-ragging regulations and safeguarding victims.

The NHRC directed the state to ensure victims resume their education, be shifted to safe colleges, and receive pending and fresh scholarships. On compensation, the Commission called the proposed Rs 50,000 payout “meager,” ordering instead that each victim be paid Rs 5 lakh and Rs 6 lakh to the minor victim under POCSO.

Victim safety was also emphasized, with the NHRC directing authorities to “provide adequate and continuous security.” The demolition of Club-90, a site allegedly tied to the crime, without evidence collection, was deemed a “major lapse,” prompting orders for a forensic probe and departmental action.

The NHRC concluded the allegations reveal a “serious issue” involving “deceitful romantic relationships… sexual exploitation and forced conversions,” describing it as a “Pattern of Dominant Gender Crime of Trafficking.”

A compliance report has been requested by July 25.

The News Mill

NHRC expresses displeasure over police probe in Bhopal’s rape and blackmailing case, to reinvestigate matter

https://thenewsmill.com/2025/07/nhrc-expresses-displeasure-over-police-probe-in-bhopals-rape-and-blackmailing-case-to-reinvestigate-matter/

Written By: ANI | Published on: Jul 4, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC) has expressed serious dissatisfaction over the police investigation in Bhopal’s alleged rape and blackmailing case with college girls and decided to reinvestigate the matter.

The Commission’s team will visit the city to thoroughly investigate the matter again and submit its report before the commission within a month, said NHRC member Priyank Kanoongo on Friday.

Speaking to ANI, Kanoongo said, “We sent a team to investigate the matter in which college girls in Bhopal were ragged, raped, videographed and forced to convert into Islam. All the victim girls were Hindu. We took the matter as religious discriminatory crime and sent our team to probe. Our team investigated the matter for three days in Bhopal and recommended that they need to visit the city for one more time to probe the matter as evidence submitted by police is insufficient.”

The team sought permission from the Commission to visit again. Following which the commission granted permission to investigate the matter again under the supervision of an Superintendent of Police (SP) rank and submit its report within a month, he added. “We have requested the DGP and Chief Secretary that compensation should be given to the children based on their age (under victim compensation scheme). Secondly, the crime pattern is communal gender crime in which Hindu girls are targeted, so its investigation as an organised crime is necessary. Organised crimes are operated and have protection. The accused in this case might have some protection and the police missed to expose. Additionally, it seems that there is something in the investigation that is being hidden. So, we have sought information on some aspects and asked our team to submit a report within a month,” Kanoongo said.

He further raised a series of questions on the investigation of the local police claiming that the police failed to properly probe the matter. “Our question is that, did the police try to find out more victims or accused or try to bust the racket? There was a place called ‘Club 90’, a den of vice which was provided by Municipal Corporation to run a restaurant. We don’t know whether they had a license of food department or license of labour department, nothing has come to fore in police investigation till date. It was demolished without collecting forensic evidence from the site which brings the action under suspicion.”

“Additionally, a person came to light in the investigation of the commission, who has a criminal history but the police failed to probe the relation between the person and the prime accused Farhan, which shows the incompetence of the police. So, we are getting the matter investigated again,” he added.

He further highlighted that they received information via email and whistleblowers in relation to the incident based on which he claimed that police failed to perform the proper investigation into the matter.

Sakshi Post

NHRC unmasks `romantic entrapment racket'; slams Madhya Pradesh Police for laxity

https://www.sakshipost.com/news/nhrc-unmasks-romantic-entrapment-racket-slams-madhya-pradesh-police-laxity-425573

Jul 04, 2025, 21:20 IST

Bhopal, July 4 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a scathing directive to Madhya Pradesh authorities, highlighting serious lapses in police handling of a rape case involving allegations of ‘deceitful romantic entrapment,’ sexual exploitation, and forced religious conversion of Hindu girls.

The Commission has demanded a rigorous re-investigation and departmental action against erring officers, citing systemic negligence and potential links to a wider trafficking network.

The case, registered as No 254/2025 at Bagsevania Police Station, revolves around a complaint by a young woman who alleged that she was raped by one Farhan Khan in Indore.

Despite her explicit statement to the Dial 100 emergency helpline, the attending officer allegedly “downplayed” the incident, “misrecorded” her statement, and advised her to visit the police station the next day.

The NHRC described this response as “gross negligence” and “a callous attitude” in the face of a heinous crime.

The Commission’s investigation division, after an initial fact-finding, found the complainant’s allegations credible and indicative of a disturbing pattern.

The report noted that the case was not an isolated incident but part of a broader trend involving “deceitful romantic relationships” that culminate in sexual exploitation and coerced religious conversions.

The NHRC equated such practices to a “Pattern of Dominant Gender Crime of Trafficking", underscoring the need for a pan-India investigation to uncover any organised network behind such crimes.

The Commission emphasised that while the right to choose one’s partner is a fundamental right, any conversion that is “forcible, deceitful or dishonest” is a violation of personal liberty and dignity.

It called for a forensic investigation of “Club 90", a location linked to the alleged crime, and urged the state to submit a compliance report within two weeks. A complete report has been requested by July 25, 2025.

The NHRC’s intervention comes amid growing national concern over cases involving “love jihad” — a controversial term used by some groups to describe alleged efforts by Muslim men to lure Hindu women into relationships for the purpose of religious conversion.

While the term lacks legal standing, several states, including Madhya Pradesh, have enacted laws to curb forced conversions under the guise of marriage.

The Commission’s directive is expected to intensify scrutiny on law enforcement agencies and their preparedness to handle sensitive gender-based crimes.

It also raises questions about the efficacy of existing safeguards for women and minors in vulnerable communities.

As the deadline for the compliance report approaches, all eyes will be on the Madhya Pradesh government’s response — and whether it leads to meaningful accountability and systemic reform.

Disclaimer: This story has not been edited by the Sakshi Post team and is auto-generated from syndicated feed.

Bhaskar English

NHRC slams MP Govt, police over infamous Rape-Love Jihad case: Demands action against negligent cops; calls Rs 50,000 compensation insufficient, finds major lapses in police probe

https://www.bhaskarenglish.in/local/mp/news/nhrc-bhopal-college-girls-rape-blackmail-conversion-case-report-police-action-compensation-135371927.html

Bhopal 4 hours ago

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday has raised serious concerns over the handling of a disturbing case in Bhopal, where several college girls were allegedly raped, blackmailed, and were pressured to get converted to another religion. The Commission has directed the Madhya Pradesh Chief Secretary (CS) and the Director General of Police (DGP) of MP to conduct a fair, detailed investigation and take departmental action against negligent officers.

Says- Rs 50k compensation is inadequate

The NHRC said in the notice that the Rs 50,000 compensation being given to the survivor women from the Chief Minister's Relief Fund is grossly inadequate. It recommended an interim relief of Rs 5 lakh for each survivor and ₹6 lakh for one minor victim.

NHRC observes pattern of grooming, assault, and coercion

According to complaints received by NHRC, students from a private Bhopal college were initially befriended by the accused, who hid their true identities. These girls were later sexually assaulted, filmed in obscene acts, blackmailed, and then coerced into converting and marrying their abusers.

The Commission noted that the case reflects an organised pattern of exploitation, possibly connected to a wider interstate network.

Lapses by police come to light

Between May 13 and 17, 2025, an NHRC team visited Bhopal, inspected the college, police stations, Club-90 premises, and survivors' homes. The team found serious lapses, including:

Police probe was incomplete and weak

Key evidence was ignored

Dial-100 call by the first survivor was not taken seriously

College lacked anti-ragging mechanisms

Club-90 was used for criminal activity and demolished without record

Three out of five victims have dropped out of college due to fear

Demands raised for protection, rehabilitation, and accountability

The Commission has instructed the government to ensure victims resume education in new institutions with full security. Scholarships must be reinstated for all SC-ST-OBC survivors.

It also demanded that forensic analysis of Club-90 be conducted, unidentified victims located, and legal protection offered. NHRC concluded that the case goes beyond 'love jihad' and points to a network of sexual abuse, religious coercion, and trafficking.

Towards the end of the notice, NHRC mentioned that the final report is to be submitted to it by July 25, 2025. NGOs assisting in counselling or education should be supported by the state.

Devdiscourse

NHRC expresses displeasure over police probe in Bhopal's rape and blackmailing case, to reinvestigate matter

The National Human Rights Commission (NHRC) has expressed serious dissatisfaction over the police investigation in Bhopal's alleged rape and blackmailing case with college girls and decided to reinvestigate the matter.

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3493000-nhrc-expresses-displeasure-over-police-probe-in-bhopals-rape-and-blackmailing-case-to-reinvestigate-matter

ANI | Updated: 04-07-2025 21:06 IST | Created: 04-07-2025 21:06 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has expressed serious dissatisfaction over the police investigation in Bhopal's alleged rape and blackmailing case with college girls and decided to reinvestigate the matter. The Commission's team will visit the city to thoroughly investigate the matter again and submit its report before the commission within a month, said NHRC member Priyank Kanoongo on Friday.

Speaking to ANI, Kanoongo said, "We sent a team to investigate the matter in which college girls in Bhopal were ragged, raped, videographed and forced to convert into Islam. All the victim girls were Hindu. We took the matter as religious discriminatory crime and sent our team to probe. Our team investigated the matter for three days in Bhopal and recommended that they need to visit the city for one more time to probe the matter as evidence submitted by police is insufficient." The team sought permission from the Commission to visit again. Following which the commission granted permission to investigate the matter again under the supervision of an Superintendent of Police (SP) rank and submit its report within a month, he added.

"We have requested the DGP and Chief Secretary that compensation should be given to the children based on their age (under victim compensation scheme). Secondly, the crime pattern is communal gender crime in which Hindu girls are targeted, so its investigation as an organised crime is necessary. Organised crimes are operated and have protection. The accused in this case might have some protection and the police missed to expose. Additionally, it seems that there is something in the investigation that is being hidden. So, we have sought information on some aspects and asked our team to submit a report within a month," Kanoongo said. He further raised a series of questions on the investigation of the local police claiming that the police failed to properly probe the matter.

"Our question is that, did the police try to find out more victims or accused or try to bust the racket? There was a place called 'Club 90', a den of vice which was provided by Municipal Corporation to run a restaurant. We don't know whether they had a license of food department or license of labour department, nothing has come to fore in police investigation till date. It was demolished without collecting forensic evidence from the site which brings the action under suspicion."

"Additionally, a person came to light in the investigation of the commission, who has a criminal history but the police failed to probe the relation between the person and the prime accused Farhan, which shows the incompetence of the police. So, we are getting the matter investigated again," he added.

He further highlighted that they received information via email and whistleblowers in relation to the incident based on which he claimed that police failed to perform the proper investigation into the matter. (ANI)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

Amar Ujala

Bhopal Love Jihad: देह व्यापार जैसे अपराध और बड़े गिरोह का शक, लव जिहाद केस में NHRC की रिपोर्ट में क्या?

https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/human-rights-commission-expressed-the-possibility-of-prostitution-in-bhopal-love-jihad-case-2025-07-04?pageId=4

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: उदित दीक्षित Updated Fri, 04 Jul 2025 09:04 PM IST

सार

भोपाल

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दरिंदों की दरिंदगी का शिकार कई हिंदू युवतियों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। कई युवतियों की जिंदगी नर्क बन गई। समाज में ठीक से जिंदगी गुजारने के लिए राज्य सरकार सभी पीड़ित छात्राओं की पढ़ाई पूरी कराए।

विस्तार

मप्र की राजधानी भोपाल में सामने अए लव जिहाद केस में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के नाम भेजी गई इस जांच रिपोर्ट ने इस मामले में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा कहा कि यह मामला लव जिहाद के साथ हिंदू युवतियों के देह व्यापार जैसा अपराध प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मामले में आधा दर्जन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिफ्तार किया है। लेकिन, यह गिरोह इतना नहीं लगा। आशंका है कि यह एक बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में कई बड़ी मछलियां शामिल हो सकती हैं। इस गिरोह का नेटवर्क दूसरे राज्यों के अपराधियों, या लोगों से भी जुड़ा हो सकता है। एनएचआरसी ने अपनी इस रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही का भी जिक्र किया है। कहा गया- लव जिहाद जैसे गंभीर मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

बता दें कि भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के कोकता में स्थित प्रतिष्ठित निजी कॉलेज में हिंदू छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। हिंदू धर्म को अपशब्द कहते हुए युवतियों के साथ दरिंदगी की गई, इस दौरान उनके अश्लील वीडियो बनाकर मुस्लिम रीति-रिवाज मानने और मुस्लिम धर्म अपनाने का भी दबाव बनाया गया था। मामले की जांच के बाद मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है।

पीड़ित छात्राओं की पढ़ाई पूरी कराए सरकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दरिंदों की दरिंदगी का शिकार कई हिंदू युवतियों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। कई युवतियों की जिंदगी नर्क बन गई। समाज में ठीक से जिंदगी गुजारने के लिए राज्य सरकार सभी पीड़ित छात्राओं की पढ़ाई पूरी कराए।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सरकार पीड़ित छात्राओं को शिक्षा दिलाने छात्रवृति भी दे। साथ ही अपराधियों से किसी भी प्रकार के डर की आशंका को देखते हुए उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार क्या कार्रवाई करती है, उसकी रिपोर्ट चार सप्ताह में और दो हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट भी मानव अधिकार आयोग को भेजें।

पीड़िताओं को पांच-पांच लाख दे सरकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी पीड़िताओं को 50-50 हजार के स्थान पर पांच-पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। एक नाबालिग पीड़िता को छह लाख रुपये देने की भी सिफारिश की गई है। जिस कॉलेज की छात्राओं के साथ लव जिहाद और दरिंदगी हुई है, उस कॉलेज से कुछ ही दूरी पर क्लब-90 है, इसमें लव जिहाद गिरोह के आरोपी बैठ कर रणनीति बनाते थे। छात्राओं को बात करने के लिए वहीं बुलाकर उनके साथ दोस्ती करते और क्लब-90 में बने कैबिनों में यह दरिंदे हिंदू युवतियों के साथ एकांत में समय भी बिताते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सवाल उठाए जाने पर क्लब-90 की पूरी जांच के बिना ही उसे तोड़ दिया गया। क्लब-90 को जल्दबाजी में तोड़ने के पीछे उसमें छिपे साक्ष्यों को छिपाने और अपराधियों की बचाने की साजिश भी हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार क्लब-90 को तोड़ने की भी जांच कराएं।

फरहान के बड़े नामों से मिलीभगत की भी जांच हो

आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जव जिहाद गिरोह का मास्टरमाइंड फरहान बहुत शातिर है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वह गिरोह के अन्य युवकों द्वारा भी जिन छात्राओं से दरिंदगी की जाती है, उनके वीडियो भी अपने पास सुरक्षित रखता है। ऐसे में आशंका है कि फरहान का दूसरे राज्यों के बदमाशों, बड़े नामो और अपराधियों से मिलीभगत की भी जांच की जाए। यह सभी जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी या उसके ऊपर के अधिकारी से कराई जाए।

जानें क्या है पूरा मामला?

भोपाल के कोकता क्षेत्र में स्थित निजी कॉलेज की आधा दर्जन हिंदू छात्राओं के साथ फरहान और उसके गिरोह के आधा दर्जन युवकों ने दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इस केस का खुलासा इस साल अप्रैल में हुआ है। पांच पीड़िताएं बालिग हैं, जबकि एक पीड़िता की नाबालिग बहन को भी फरहान और उसके साथी ने दरिंदगी का शिकार बनाया। नाबालिग भोपाल में पढ़ाई छोड़कर इंदौर चली गई तो फरहान इंदौर भी पहुंचा और नाबालिग के साथ दरिंदगी की। इसके बाद इंदौर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं की। पीड़िता भोपाल आई और दोनों बहनों ने बागसेवनिया थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया। इसके बाद अन्य पीड़ित छात्राओं ने प्रकरण दर्ज कराया। फरहान की दरिंदगी का शिकार दो छात्राएं पढ़ाई पूरी कर शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। ये दोनों पीड़िता निजी जिंदगी तबाह होने के डर से प्रकरण दर्ज कराने से स्पष्ट इंकार कर चुकी हैं। एक पीड़िता का बच्चा भी है।

लव जिहाद कांड का खुलासा होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीमें 13 से 17 मई तक भोपाल में पीड़िताओं के बयान लेने, घटना स्थल, कॉलेज, क्लब-90 का दौरा किया था। इसके बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। मानव अधिकार आयोग ने अब अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है। फरहान सहित सभी छह आरोपी जेल में हैं। एक आरोपी आत्महत्या कर चुका है।

AAJ TAK, Online, 5.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Aaj Tak

मध्य प्रदेश: छात्राओं के साथ ड्रग्स, रेप और धर्मांतरण का मामला, NHRC ने राज्य सरकार को भेजी सख्त रिपोर्ट

मध्यप्रदेश के एक निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ ड्रग्स देकर रेप, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है. NHRC ने जांच के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है. रिपोर्ट में इसे यौन व्यापार जैसा अपराध बताया गया है. आयोग ने पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा, पढ़ाई और आर्थिक मदद के लिए कई निर्देश दिए हैं.

https://www.aajtak.in/madhya-pradesh/story/nhrc-report-on-madhya-pradesh-girls-drugs-rape-conversion-blackmail-lclar-strc-2279869-2025-07-04

रवीश पाल सिंह | भोपल , 04 जुलाई 2025, (अपडेटेड 04 जुलाई 2025, 5:52 PM IST)

मध्य प्रदेश के एक निजी कॉलेज से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें छात्राओं को नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं हुई हैं. इस मामले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने 13 से 17 मई के बीच जांच कर रिपोर्ट तैयार की और राज्य सरकार को सौंप दी है.

NHRC की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अपराध यौन व्यापार की तरह प्रतीत होता है और इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका हो सकती है. मुख्य आरोपी फरहान और मछली नाम की महिला की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है. आयोग ने कहा है कि आरोपी का नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट तैयार की

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती, इसलिए विभागीय कार्रवाई की जाए. NHRC ने SSP रैंक से ऊपर के अधिकारी के नेतृत्व में नई जांच टीम बनाने की बात कही है.

आयोग ने पीड़िताओं को दोबारा शिक्षा दिलवाने, छात्रवृत्ति देने और निरंतर सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री राहत कोष से हर पीड़िता को 5 लाख और एक विशेष नाबालिग पीड़िता को 6 लाख रुपए राहत राशि देने की सिफारिश की गई है.

UGC के नियमों के सख्त पालन के भी निर्देश दिए

NHRC ने कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल और UGC के नियमों के सख्त पालन के भी निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट चार हफ्ते में और अनुपालन रिपोर्ट दो हफ्ते में भेजने को कहा गया है.

Dainik Bhaskar

भोपाल रेप-ब्लैकमेलिंग केस: NHRC की सीएस-डीजीपी को चिट्ठी:पीड़ित छात्राओं को 5-5 लाख दे सरकार, लापरवाह अफसरों पर हो विभागीय कार्रवाई

https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/nhrcs-letter-to-cs-dgp-in-college-students-rape-case-135371516.html

भोपाल 5 घंटे पहले

भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए और जांच में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए।

आयोग ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़ितों को जो 50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, वह नाकाफी है। हर पीड़िता को 5-5 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। एक नाबालिग पीड़िता को 6 लाख रुपए देने का निर्देश भी दिया गया है।

दोस्ती, रेप, वीडियो और फिर धर्मांतरण का दबाव

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मिली शिकायत के अनुसार, भोपाल के एक निजी कॉलेज में कुछ छात्राओं को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और फिर धर्म बदलने और निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया।

पीड़ित छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी लड़कों ने अपनी असली पहचान छिपाकर दोस्ती की थी। आयोग का कहना है कि यह एक सुनियोजित और संगठित अपराध है जिसमें आरोपियों के दूसरे राज्यों तक भी नेटवर्क हो सकते हैं।

NHRC की टीम ने की मौके पर जांच, कई गंभीर चूक उजागर

आयोग की ओर से गठित टीम ने 13 से 17 मई के बीच भोपाल आकर पुलिस कमिश्नर, संबंधित थानों, कॉलेज, क्लब-90 परिसर और पीड़ित छात्राओं के घरों का दौरा किया। जांच टीम ने डीएसपी मोनिया उप्पल, इंस्पेक्टर संतोष कुमार और NHRC के अन्य अफसरों के साथ जगह-जगह जाकर साक्ष्य जुटाए।

जांच के बाद आयोग ने कहा कि:

पुलिस की जांच अधूरी और कमजोर रही

कई सबूतों को नजरअंदाज किया गया

पीड़िता नंबर-1 की डायल 100 कॉल को गंभीरता से नहीं लिया गया

कॉलेज परिसर में एंटी रैगिंग सेल जैसी व्यवस्थाएं भी नहीं मिलीं

क्लब-90 को अपराध में इस्तेमाल किया गया, जिसे बाद में बिना सूचना ध्वस्त कर दिया गया

पीड़ित छात्राएं डरी हुई, पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी

जांच में सामने आया कि 5 में से 3 छात्राएं कॉलेज छोड़ चुकी हैं। वे अब भी डर के कारण अपने घरों में छिपकर रह रही हैं। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इन छात्राओं की पढ़ाई नए कॉलेज में शुरू करवाई जाए और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए।

साथ ही, सभी SC-ST-OBC वर्ग की पीड़िताओं को छात्रवृत्ति दोबारा शुरू की जाए और पुरानी छात्रवृत्तियों की राशि भी वापस दी जाए।

पुलिस अफसरों पर गिरी गाज, जांच के निर्देश

NHRC ने कहा है कि पीड़िता द्वारा की गई डायल 100 कॉल को गंभीरता से न लेना, बलात्कार जैसी वारदात को साधारण रूप में दर्ज करना, और वीडियो साक्ष्य एकत्र न करना, पुलिस की बड़ी चूक है।

आयोग ने डीजीपी से कहा है कि ऐसे लापरवाह अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। क्लब-90 की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, पीड़िताओं को आगे आने के लिए सुरक्षित माहौल दिया जाए। बचे हुए पीड़ितों की पहचान कर उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाए।

ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण: गंभीर लैंगिक अपराध

NHRC ने यह भी कहा कि इस मामले में सामने आए तथ्य बताते हैं कि यह सिर्फ 'लव जिहाद' का मामला नहीं, बल्कि यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना, धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे अपराधों की संगठित श्रृंखला है।

यह एक ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है जिसमें लड़कियों को फंसाकर उनका जीवन तबाह किया जा रहा है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पूरे मामले में गहराई से जांच करे और देशभर में फैले इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचे।

आयोग ने मांगी रिपोर्ट: 25 जुलाई तक सौंपनी होगी

आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा है कि वे इस पूरे प्रकरण की विस्तृत, निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट 25 जुलाई 2025 तक आयोग को सौंपें। इसके अलावा अगर कोई NGO या संस्था छात्राओं की काउंसलिंग, पुनर्वास और शिक्षा में मदद करना चाहती है, तो राज्य सरकार उसे सहयोग करे। भोपाल के प्राइवेट कॉलेज की हिन्दू छात्राओं को टारगेट कर रेप और ब्लैकमेलिंग करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को कोर्ट में चालान पेश किया गया। बागसेवनिया पुलिस ने मुख्य आरोपी फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ चालान पेश किया है। विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) नीलम मिश्रा की अदालत में यह चालान पेश किया गया है।

कॉलेज छात्राओं को गांजा पिलाकर रेप करते, वीडियो बनाते थे

भोपाल में प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में चौथी पीड़िता भी सामने आ गई है। आरोपियों ने इसका भी रेप करते हुए वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल किया था। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में एक दर्जन से ज्यादा वीडियो क्लिप मिली हैं। पुलिस इन्हीं क्लिप्स के आधार पर पीड़िताओं से संपर्क कर रही है।

Bansal News

MP NEWS: भोपाल रेप-ब्लैकमेलिंग केस में NHRC सख्त, सरकार को भेजी रिपोर्ट, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश

भोपाल के कॉलेज छात्रों से रेप, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग केस में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकार और पुलिस विभाग को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही को देखते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।

https://bansalnews.com/bhopal-college-students-rape-blackmailing-nhrc-investigation-report-zvj/

by Vikram Jain | July 4, 2025-7:09 PM

Bhopal Rape Blackmailing Case 2025: राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में हिंदू छात्राओं के साथ रेप, नशा, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है। जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में अपराध को सुनियोजित बताया गया है। आयोग ने पीड़िताओं को 5 लाख मुआवजा और शिक्षा जारी रखने की सिफारिश की है। बता दें कि हिंदू छात्राओं से रेप-ब्लैकमेलिंग केस में पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी फरहान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अबरार अब भी फरार है।

रिपोर्ट ने खोली लापरवाही की पोल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भोपाल में कॉलेज छात्राओं के साथ हुए अपराध को बेहद संगीन और यौन तस्करी जैसा अपराध करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अपराध एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। जिसमें आरोपियों के दूसरे राज्यों में भी संपर्क हो सकते हैं। NHRC की रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है।

NHRC ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि भोपाल गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच कराई जाए। साथ ही, जांच के दौरान यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

पीड़ित छात्राओं को 5-5 लाख देने की सिफारिश

आयोग ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से फिलहाल पीड़ित छात्राओं को मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है। आयोग ने सिफारिश की है कि हर पीड़िता को 5-5 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी जाए और एक नाबालिग पीड़िता को 6 लाख रुपए की विशेष सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित छात्राओं को वापस शिक्षा दिलाने और छात्रवृत्ति देकर पढ़ाई पूरी कराई जाने के निर्देश दिए हैं। निरंतर सुरक्षा और परामर्श की सुविधा देने की सिफारिश की गई है। NHRC ने कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल और UGC के नियमों के सख्त पालन के भी निर्देश दिए हैं।

हिंदू छात्राओं को बनाया गया निशाना

NHRC को मिली शिकायत के अनुसार भोपाल के एक बड़े निजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से पहले कुछ लड़कों ने दोस्ती की फिर उन्हें जाल में फंसाकर रेप किया गया। साथ ही इन लड़कियों के अश्लील वीडियो- फोटो लिए गए। इन गंदे वीडियो से आरोपियों ने पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया और फिर हिंदू धर्म छोड़ने और शादी करने का दबाव बनाया गया। पीड़ित छात्राओं का आरोप है कि आरोपियों ने नाम बदलकर अपनी असली पहचान छिपाकर दोस्ती की थी।

जांच में गंभीर लापरवाहियां आईं सामने

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) की विशेष जांच टीम ने 13 से 17 मई के बीच भोपाल पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की स्थल निरीक्षण के साथ गहराई से जांच की। टीम ने इस दौरान पुलिस कमिश्नर कार्यालय, संबंधित थानों, टीआईटी कॉलेज, क्लब-90 परिसर और पीड़ित छात्राओं के घरों का दौरा किया।

जांच के दौरान DSP मोनिया उप्पल, इंस्पेक्टर संतोष कुमार और NHRC के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों से साक्ष्य एकत्र किए गए। इस मौके पर टीम को कई स्तरों पर प्रशासनिक चूक और लापरवाही के गंभीर संकेत मिले, जिन्हें रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है।

NHRC ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में पुलिस और कॉलेज प्रशासन की गंभीर लापरवाही और अनदेखी को लेकर कई चिंताजनक बिंदु सामने रखे हैं, जैसे..

पुलिस द्वारा की गई जांच अधूरी, सतही और कमजोर पाई गई।

महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया, जिससे मामले की गंभीरता दबने की आशंका है।

पीड़िता नंबर-1 द्वारा की गई डायल 100 कॉल को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, जो सुरक्षा में बड़ी चूक है।
कॉलेज परिसर में एंटी-रैगिंग सेल, परामर्श केंद्र जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया।

जिस क्लब-90 परिसर का उपयोग अपराध में किया गया, उसे बिना किसी वैधानिक सूचना या दस्तावेजी प्रक्रिया के ध्वस्त कर दिया गया।

NHRC ने इन बिंदुओं को बेहद गंभीर माना है और इन पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है।

सुनियोजित और संगठित अपराध

मामले में आयोग ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। आयोग का कहना है कि इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, वे इसे सिर्फ 'लव जिहाद' तक सीमित नहीं रखते, बल्कि यह एक सुनियोजित और संगठित आपराधिक श्रृंखला है, जिसमें कई गंभीर अपराध—जैसे यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना, धर्मांतरण और मानव तस्करी—एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

देशभर में फैल रहा है खतरनाक पैटर्न

NHRC ने अपनी रिपोर्ट में आगाह किया है कि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि ऐसा खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है, जहां युवा लड़कियों को पहले प्रेमजाल में फंसाया जाता है, फिर उनका यौन उत्पीड़न,

ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण और अंत में मानव तस्करी जैसे गहरे अपराधों की ओर धकेल दिया जाता है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह के मामलों के पीछे देशव्यापी नेटवर्क की आशंका है, जो सुनियोजित तरीके से मासूम युवतियों को निशाना बना रहा है।

25 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश

आयोग ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया है कि वे इस पूरी घटना की विस्तृत, निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट तैयार कर 25 जुलाई 2025 तक NHRC को प्रस्तुत करें।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि कोई गैर-सरकारी संगठन (NGO) या सामाजिक संस्था पीड़ित छात्राओं के लिए काउंसलिंग, पुनर्वास, शिक्षा या मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करना चाहती है, तो राज्य सरकार उन्हें हरसंभव समर्थन और संसाधन मुहैया कराए।

ETV Bharat

भोपाल लव जिहाद कांड में मानव अधिकार आयोग फिर एक्टिव, पुलिस जांच पर सवाल - BHOPAL LOVE JIHAD CASE

भोपाल लव जिहाद कांड में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल. आयोग फिर से भेजेगी जांच टीम.

https://www.etvbharat.com/hi/!state/national-human-rights-commission-again-active-in-bhopal-love-jihad-case-expressed-dissatisfaction-with-police-investigation-madhya-pradesh-news-mps25070404081

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team | Published : July 4, 2025 at 7:23 PM IST

4 Min Read

भोपाल: राजधानी के एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ ड्रग्स, रेप, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अंतरराज्यीय कनेक्ट होने की आशंका जताई है. आयोग ने मामले में पुलिस जांच से असंतोष जताते हुए कहा है कि आयोग जांच के लिए फिर से टीम भेजेगा. जांच में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल होगा. आयोग ने आशंका जताई है कि पुलिस ने इस मामले में शारिक मछली और फरहान की भूमिका की ठीक से जांच नहीं की है. आयोग ने इसे यौन व्यापार जैसा अपराध बताया है.

यह है पूरा मामला

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ब्रजवीर सिंह द्वारा भेजे गए पत्र में कहा है कि इस मामले की मध्य प्रदेश स्तर पर जांच हुई, लेकिन राज्य के बाहर भी इसकी लिंक जुड़ी हो सकती है. दरअसल भोपाल के एक निजी कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने छात्राओं से दोस्ती कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनका यौन शोषण कर उनके अश्लील वीडियो बना लिए. इसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन करने का दवाब बनाया गया. इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर पूरी जांच करवाई थी.

पुलिस की जांच पर जताया असंतोष

आयोग के निर्देश पर गठित टीम ने 13 मई से 17 मई 2025 तक इस पूरे मामले की जांच की थी. इस दौरान मामले से जुड़े कई लोगों से बात की थी. जांच के आधार पर आयोग ने अब राज्य सरकार को पत्र लिखकर कई निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों में आयोग ने सरकार से कई सिफारिशें की है. इसके साथ ही पुलिस की जांच पर असंतोष जताया है. पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की.

आयोग फिर से भेजेगी जांच टीम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मामले में पुलिस जांच से असंतोष जताते हुए कहा है कि आयोग जांच के लिए फिर से टीम भेजेगा. जांच में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल होगा.

आयोग ने की यह सिफारशें

हथाईखेड़ा डेम के किनारे बनाया गया क्लब 90, कॉलेज के बेहद पास बनाया गया था और आरोप लगाया गया कि इसका उपयोग अपराध में हुआ है. लेकिन इसको बिना पूर्व सूचना के ही तोड़ दिया गया. जबकि यहां से फॉरेंसिक एबिडेंस मिल सकते थे. आयोग ने इस लापरवाही के लिए मामले में जांच के लिए कहा है.

आयोग ने कहा है कि जिस तरह का यह अपराध घटित हुआ है उसकी और गंभीरता से जांच होनी चाहिए. आयोग ने इसके सिर्फ मध्य प्रदेश स्तर पर ही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया स्तर पर दैहिक शोषण और ट्रेफिकिंग से तार जुड़े हो सकते हैं. आयोग ने अपराध के पीछे बड़े नेटवर्क की आशंका जताई है.

आयोग द्वारा मामले की जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी फरहान मध्य प्रदेश के अलावा बाहर भी कई लोगों के संपर्क में था. इसलिए राज्य के बाहर भी ऐसा नेटवर्क यदि कोई है तो उसकी जांच किए जाने की जरूरत है.

आयोग ने कहा है कि इस मामले में पुलिस ने शारिक मछली और फरहान के संबंधों को लेकर पड़ताल ही नहीं की है.

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणियों के पीड़ित छात्राओं को शिक्षा पूरी होने तक पढ़ाई जारी रखने स्कॉलरशिप दिए जाने के उपाए किए जाएं. राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि पीड़ितों को उनकी पुरानी स्कॅलरशिप भी मिल सके, जो पीड़िताओं को उनकी पिछली पढ़ाई के दौरान नहीं मिल सकी थी.

मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि सभी पीड़ित छात्राओं को उनके मनमुताबिक कोर्सेस में एडमिशन मिल सके. 5 पीड़ित छात्राओं में से 3 भोपाल के प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रही थीं लेकिन आरोपियों के डर से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.

आयोग ने मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़िताओं को 50 हजार रुपए की राशि के स्थान पर 5 लाख रुपए और एक नाबालिग पीड़िता को 6 लाख रुपए की राशि दिए जाने के लिए भी कहा है.

The Commune Mag

NHRC Takes Cognizance Of Complaint Against Loyola College & Don Bosco Paris; Directs Ministry of External Affairs To Probe Education Fraud

https://thecommunemag.com/nhrc-takes-cognizance-of-complaint-against-loyola-college-directs-ministry-of-external-affairs-to-probe-education-fraud/

By The Commune - July 4, 2025

In a major blow to the credibility of two prominent Catholic institutions, the National Human Rights Commission (NHRC) has officially taken cognizance of a serious human rights violation complaint against Loyola College, Chennai and its foreign partner, Don Bosco International Media Academy (DBIMA), Paris.

The Legal Rights Protection Forum (LRPF), a legal advocacy group, had filed a formal complaint with the University Grants Commission (UGC), Ministry of Education, and the University of Madras against Loyola College, Chennai, accusing the institution of running an unauthorized diploma program in filmmaking in collaboration with a foreign institute, thereby violating key higher education regulations and potentially endangering the visa status of Indian students abroad.

The complaint—based on a detailed Right to Information (RTI) reply—alleges that Loyola College ran an unapproved foreign diploma programme in collaboration with Don Bosco, Paris, without seeking the mandatory clearance from the University of Madras or the University Grants Commission (UGC).

According to the NHRC proceedings, students were sent abroad on student visas obtained through false representations, raising the possibility of deportation and legal consequences. The complaint further states that this constitutes cross-border trafficking disguised as education, causing severe financial and emotional harm to the affected students.

Taking cognizance under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC has:

– Directed the Registrar of the University of Madras and the Chairman of the UGC to submit an Action Taken Report within two weeks

– Forwarded the case to the Ministry of External Affairs, Government of India, for further investigation and necessary diplomatic action

– The proceedings note that the allegations “prima facie seem to be serious violations of the human rights of the victim.”

The complaint also seeks:

- Immediate student protection
- Refund of fees collected
- Prosecution of those responsible for misrepresentation and educational fraud

The NHRC Bench, presided over by Hon’ble Member Shri Priyank Kanoongo, has attached a copy of the original complaint and instructed the Registry to issue formal notices.

This case comes amidst growing allegations of misuse of foreign collaborations by Loyola College, which has already been in the spotlight for corruption, money laundering via its alumni network, and unexplained links to controversial figures in Tamil Nadu’s political and entertainment spheres.

ETV Bharat

मां की मौत के बाद रिश्तों ने भी तोड़ा साथ, 12 साल की बेटी ने दी मां को मुखाग्नि - VIDISHA DAUGHTER CREMATED MOTHER

विदिशा में 2 बेटियां अनाथ. लव मैरिज के कारण दोनों परिवारों ने किया किनारा. एक साल पहले पिता और अब मां ने की आत्महत्या.

https://www.etvbharat.com/hi/!state/vidisha-12-year-old-daughter-cremated-her-mother-social-workers-performed-last-rites-parents-refuse-attend-funeral-madhya-pradesh-news-mps25070402291

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2025 at 1:58 PM IST

3 Min Read

विदिशा: शहर के पुरनपुरा क्षेत्र में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. 2 दिन पहले भावना जाट नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली. उस वक्त घर पर कोई नहीं था. उसकी 6 साल की छोटी बेटी स्कूल से लौटी और मासूम ने घर का दरवाजा खोला. उसने अपनी मां की हालत देखकर किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति को फोन किया, जिसने पुलिस को सूचना दी. अंतिम संस्कार के लिए ससुराल और मायके पक्ष ने आने से इंकार कर दिया.

एक साल पहले पति ने भी की थी आत्महत्या

भावना के जीवन में दुखों की यह दूसरी बड़ी चोट थी. बता दें कि करीब एक साल पहले उसके पति संतोष जाट ने भी आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद भावना अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर रही थी.

मां की मौत के बाद रिश्तों ने भी तोड़ा साथ (ETV Bharat)

ससुराल और मायके पक्ष का अंतिम संस्कार में आने से इंकार

घटना के बाद जब पुलिस ने ससुराल पक्ष से संपर्क किया तो वहां से मदद की बजाय ठुकरा देने वाला जवाब मिला. संतोष जाट के भाई महेश जाट ने साफ कह दिया कि हमारा भावना से कोई लेना-देना नहीं, हमारा भाई भी उसी से परेशान था. मायके वालों को सूचना दी गई लेकिन लव मैरिज के कारण वर्षों पहले रिश्ता तोड़ चुके परिवार ने भी अंतिम संस्कार में आने से इनकार कर दिया.

समाजसेवियों ने किया अंतिम संस्कार

रिश्तों की इस बेरुखी के बीच स्थानीय समाजसेवी आदर्श तिवारी ने जिम्मेदारी उठाई. उन्होंने न सिर्फ अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, बल्कि मृतक की बड़ी बेटी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सामाजिक मर्यादा निभाई. इसके बाद 12 वर्षीय बेटी ने ही अपनी मां को मुखाग्नि दी और रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य पहुंचे विदिशा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो बुधवार को विदिशा पहुंचे और बच्चियों से मुलाकात की. उन्होंने कहा "यह मानवीय मामला है. 2 मासूम बच्चियां अनाथ हो गई हैं. हमने महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल कल्याण समिति के अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने पर चर्चा की है."

उन्होंने कहा कि "ऐसे लोगों को परिवार कहना बंद करिए, वे दुष्ट लोग हैं. विदिशा में आदर्श तिवारी जैसे लोग हैं. समाज मिलकर इन बच्चियों की देखभाल करेगा. हमें अब इन दुष्टों की जरूरत नहीं है."

Hindustan

हीटवेव की चपेट में देश के 57 फीसदी जिला जहां रहती है तीन चौथाई आबादी

https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-heatwave-crisis-in-india-climate-change-threatens-lives-and-agriculture-201751638698012.amp.html

4 जुलाई 2025

प्रभात कुमार नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के चलते लगातार बढ़ रहे गर्मी की वजह से

प्रभात कुमार नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन के चलते लगातार बढ़ रहे गर्मी की वजह से देश का अधिकांश हिस्सा 'हीटवेव यानी लू की चपेट में है, जहां तीन चौथाई आबादी रहती है। अत्यधिक लू के चलते जहां लोगों के जानमाल को खतरा हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के मैदानी इलाकों में खेती भी प्रभावित हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने द्वारा लगातार बढ़ते तापमान के कारण होने वाली मौतों सहित जलवायु संबंधी कमजोरियों के मुद्दे पर तैयार की जा रही रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार को गंभीर बताते हुए ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा 2025 में किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि देश के 57 फीसदी जिले जहां 76 फीसदी आबादी का घर हैं, उच्च से बहुत अधिकतम हीटवेव के जोखिम का सामना कर रहे हैं।

आयोग के मुताबिक भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और उनके 75 फीसदी से अधिक जिले अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं। आयोग के मुताबिक अत्यधिक गर्मी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती पैदा कर रही है, जिसका असर मानवाधिकारों, सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक पहलुओं पर पड़ रहा है। आयोग द्वारा इस मुद्दे पर तैयार दस्तावेजों में कहा गया है कि भारत में 2010 के बाद 2024 की गर्मियों में सबसे लंबी और सबसे व्यापक हीटवेव आई। आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), 2024 के आंकड़ों अनुसार 100 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि के साथ-साथ हीटस्ट्रोक और निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) के हजारों मामले सामने आए। 11 राज्यों को जारी किया था दिशा-निर्देश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1 मई को हीटवेव से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को दिशा-निर्देश जारी किया था। आयोग ने एनसीआरबी के उस आंकड़ों पर संज्ञान लेते हुए हीटवेव से अत्याधिक प्रभावित होने वाले 11 राज्यों को ये दिशा-निर्देश जारी किया था। एनसीआरबी के मुताबिक 2018-22 के बीच देश में 3800 लोगों के मौत हीटवेव यानी लू या हीट-स्ट्रोक की वजह से हुई। आयोग ने इसी वजह से लू से बचने के लिए निवारक उपाय करने का दिया है आदेश दिया और राज्यों को इस बारे में रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा गया है। हीटवेव से कौन होते हैं प्रभावित एनएचआरसी के अनुसार हीटवेव के चलते सबसे अधिक बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं , जिनकी जैविक लचीलापन कम होती है। जैविक लचीलापन का मतलब है किसी भी मुश्किल या प्रतिकूल परिस्थिति से उबरने या वापस सामान्य होने की क्षमता है। इसके अलावा, हीटवेव की वजह से मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के अलावा शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी बड़े पैमाने प्रभावित होते हैं। आयोग ने कहा है कि शहरी झुग्गियों में, जहां घर के अंदर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, महिलाएं, विशेष रूप से वे जो अधिक गर्म घरों या अनौपचारिक नौकरियों में लंबे समय तक बिताती हैं।

आयोग ने कहा है कि हाशिए पर पड़े समुदाय, जिनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निर्माण मजदूर, किसान, पुलिस और गिग वर्कर, विशेष रूप से डिलीवरी ड्राइवर, उच्च तापमान और सख्त डिलीवरी समयसीमा के दोहरे बोझ का सामना करते हैं, जिससे काफी तनाव पैदा होता है। उत्पादकता को 40 फीसदी तक कर सकता है कम आयोग के मुताबिक सीईईडब्ल्यू विश्लेषण तीन खतरनाक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। पहला गर्म रातों की बढ़ती आवृत्ति, सापेक्ष आर्द्रता में तेज वृद्धि, और • दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और भुवनेश्वर जैसे घनी आबादी वाले, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों में हीटवेव के जोखिम का विस्तार। आयोग ने माना है कि हीटवेव अब पारंपरिक रूप से आर्द्र मानसून के महीनों में फैल रही हैं, जैसा कि 2024 में चेन्नई में देखा गया, जिससे उच्च गर्मी और आर्द्रता का खतरनाक संयोजन बन गया था। आयोग ने कहा है कि रात की गर्मी विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि यह लोगों के आराम के घंटों के दौरान शरीर की प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया को बाधित करती है, स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाती है। आयोग ने सीईईडब्ल्यू के हवाले से कहा है कि इसका प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रणालियों और आजीविका तक फैला हुआ है। आयोग के मुताबिक भारत के 46 फीसदी कार्यबल कृषि में कार्यरत हैं, महत्वपूरण फसल चरणों के दौरान बढ़ते तापमान से पैदावार पर असर पड़ रहा है। इससे सिंचाई की मांग बढ़ जाती है, जिससे पानी की कमी और बढ़ जाती है। इसकी वजह से 2100 तक, आर्द्र गर्मी का तनाव किसान और मजदूर की उत्पादकता को 40 फीसदी तक कम कर सकता है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। आंकड़े भारत में 1993 से 23 तक तक हीटवेब से भारत में 25 हजार लोगों की हुई मौत। संयुक्त राज्य अमेरिका में हीटवेव के कारण हर साल औसतन 700 मौतें होती हैं। यूरोप में 2003 की हीटवेव के दौरान 70,000 से अधिक मौतें हुईं, जो दर्ज इतिहास में सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी। ऑस्ट्रेलिया में हीटवेव सांख्यिकीय रूप से सबसे घातक प्राकृतिक खतरा है, जो 2001 से 2018 के बीच 3,000 से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। आयोग ने दिए हैं सुझाव एनएचआरसी ने कहा है कि चूंकि हीटवेव सीमापार और प्रणालीगत जोखिमों का प्रतिनिधित्व करती हैं, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तकनीकी सहयोग, डेटा साझाकरण और हीट रेजिलिएशन पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें हीट रेजिलिएशन के लिए एक व्यवस्थित, एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है क्योंकि अलग-अलग उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। जलवायु-लचीला, कम लागत वाले आवास विकसित करना हीट-रिस्क बीमा और मिश्रित वित्त मॉडल का विस्तार करने पर भी आयोग ने जोर दिया है। इसके अलावा, ठंडी छतों, हरित बुनियादी ढांचे का व्यापक उपयोग और शहरी जंगलों को बहाल करना ,· भीषण गर्मी के दौरान स्कूल और काम के शेड्यूल को समायोजित करना स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित करना · निर्माण, रखरखाव और गिग श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं।

Khas Khabar

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल का निरीक्षण दौरा

khaskhabar.com: शुक्रवार, 04 जुलाई 2025 11:04 PM

https://www.khaskhabar.com/local/rajasthan/jaipur-news/news-inspection-tour-of-special-monitor-of-national-human-rights-commission-shri-balkrishna-goyal-news-hindi-1-734109-KKN.html

जयपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने शुक्रवार को जयपुर शहर में कई संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर शहर स्थित गाँधीनगर में संचालित शिशु गृह एवं बालिका गृह का निरीक्षण कर संधारित रेकार्ड में पाई गई कमियों पर अधीक्षक को रेकार्ड का नियमानुसार संधारण करवा कर आयोग को अवगत करवाने के निर्देश दिए। गोयल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटगेट का भी निरीक्षण किया तथा उपस्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुकुल कविया को दो दिवस के भीतर विद्यालय प्रांगण की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिये । उन्होंने विद्यार्थियों से उनके कॅरियर, प्रेरणास्त्रोत एवं लक्ष्य पर चर्चा की एवं गुड टच — बेड टच के बारे में बताया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जिले के कुल विद्यालय एवं बच्चों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देते हुए विद्यालय की गरिमा पेटी को स्कूल विद्यालय की बाहरी दीवार पर चस्पा या पेंट करवाने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाडी केन्द्र, रैगरों की कोठी, संजय बाजार के निरीक्षण में विभागीय अधिकारी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता को बच्चों का नामांकन बढ़ाने तथा गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाला पोषाहार समय पर देने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम, जामडोली के निरीक्षण में व्यवस्थाएँ सन्तोषजनक पाई गई। इस पर गोयल ने कहा कि प्रशासन को ऐसी संस्थाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करना चाहिए। केन्द्रीय कारागृह में भोजन एवं चिकित्सा व्यवस्था सन्तुष्टिजनक पाये जाने जाने, नवाचारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और बंदी एवं कर्मचारी कारागृह व्यवस्था से सन्तुष्टि जाहिर की।